


## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री प्रेम कुमार पिता- मोहन साव, ग्राम-बिंगलात, थाना- टंडवा, जिला- चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत थाना सं. 49, ग्राम- बिंगलात, (रैयतीभूमि) खाता सं.-20 के अधीन प्लॉट सं. - 288, 689; खाता सं.-40 के अधीन प्लॉट सं. 128; खाता सं.-19; के अधीन प्लॉट सं.-88, 113, 117; खाता सं.- 12; के अधीन प्लॉट सं. 118, 114, 116, 115, 119; खाता सं.-41 के अधीन प्लॉट सं. 7; खाता सं.-31 के अधीन प्लॉट सं. 143; खाता सं.-15 के अधीन प्लॉट सं.-133; खाता सं.- 8 के अधीन प्लॉट सं.-434, 412; खाता सं.-2 के अधीन प्लॉट सं.-688, 87; खाता सं.-16 के अधीन प्लॉट सं.-205; खाता सं.-26 के अधीन प्लॉट सं.-290; खाता सं.-23 के अधीन प्लॉट सं.-680; खाता सं.- 36 के अधीन प्लॉट सं.-306 ग्राम:होनहे खाता सं.-1 के अधीन प्लॉट सं.-67; खाता सं.-36 के अधीन प्लॉट सं. -195, 243 कुलरकबा: -2.00 एकड़ (रैयतीभूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

विनोद

  
21/07/2029  
Sr Manager (Min)